किन कृत्यों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता हे?

रैगिंग किसी भी निम्नलिखित कृत्यों में से एक या एक से अधिक का गठन है:

a) कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित या जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता या कोई गलत हरकत का प्रभाव पड़ता हो, चाहे फिर वो कोई नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जायेगा।

b) कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता हे या उनकी किसी भी हरकत से झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक परेशानी या मनोवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका तत्संबंधी पैदा होने की संभावना हो तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता।

c) किसी भी छात्र को कोई भी ऐसा कार्य करने को कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना का सामना करना पड़े, या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकूल असर हो।

d) एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र के नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित, या परेशान करने वाला कार्य।

e) एक व्यक्ति या छात्रों के समूह के शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण।

f) कोई भी ऐसी हरकत जो वरिष्ट छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या सशक्त खर्च बोझ का कोई भी भार डाले।

g) शारीरिक शोषण के सभी प्रकार: यौन शोषण का कोई भी अधिनियम, समलैंगिक हमले, अलग करना, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा मजबूर व्यक्ति को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण।

h) कोई भी हरकत, बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय या निष्क्रियता से किसी भी नए व् पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना।

i) कोई भी कार्य जो कि एक नवसिखुआया या किसी भी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, कोई भी छात्र किसी भी नवसिखुआ या किसी अन्य छात्र पर कामुक प्राप्त करने के लिए खुशी, बंद शक्ति या श्रेष्ठता का अधिकार दिखा रहा हो।